

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर ग्रामीण  
पीवासीन अधिकारी श्री पुखराज कांसोटिया, आर.ए.एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या: 61/2023-  
61/2023

प्रार्थी

राणाराम वगैरह

बनाम

अप्रार्थी

सरकार जरिये तहसीलदार झवंर  
व अन्य

अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक 19/3/24

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का पेश कर अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक ग्राम करणीनगर के खसरा संख्या 39/1 रकबा 5.3823 हैक्टयर तहसील झवंर की कृषि भूमि में प्रवेश नहीं करे तथा प्रार्थीगण को बेदखल व उपरोक्त भूमि में किसी भाग पर सडक निर्माण नहीं करे तथा प्रार्थीगण के उपयोग व उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करे का पेश किया। उक्त विवादग्रस्त भूमि में जो प्रार्थीगण की पैतृक खातेदारी तथा तरमीमसुदा कृषि भूमि है जिस पर वादी गण हैसियत खातेदार काबिज है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को समन जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग जिला खण्ड द्वितीय द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो कि शामिल पत्रावली किया गया। शेष अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस में कथन किया कि उक्त विवादग्रस्त भूमि में जो प्रार्थीगण की पैतृक खातेदारी तथा तरमीमसुदा कृषि भूमि है जिस पर वादी गण हैसियत खातेदार काबिज है। सीधी रोड निकालने के लिए प्रार्थीगण के खेत में से भूमि कम नहीं करे तथा बाद पैमाईश उचित कार्यवाही करने का निवेदन किया तब-तक अप्रार्थीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि प्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जा-काश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करे। अप्रार्थीगण ने अपने कथन में जवाब प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण को कोई वाद करने का अधिकार नहीं है क्योंकि उनके किसी भी दीवानी एवं राजस्व अधिकारों का कोई हनन



सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,  
लूणी

नहीं हो रहा है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत ऐसे रास्तों को चौड़ा करने के अधिकार हैं। मात्र राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं होने से प्रार्थीगण को अधिकार उपलब्ध नहीं होता है। र्यूई रूप से चल रहे रास्ते में गांव वालों का सार्वजनिक सुखाधिकार प्राप्त हो चुका है। इन परिस्थितियों उपरोक्त रास्ते को न्यायालय द्वारा बंद नहीं किया जा सकता है। पूर्व से जो रास्ता चलयामान है। उसी पर सरकारी आदेश अनुसार मेन्टीनस कार्य किया जा रहा है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विधि के विपरीत प्रस्तुत किये जाने के कारण चलने योग्य नहीं होने से निरस्त किया जावे एवं विशेष हर्ज खर्च के रूप में 20,000/- रूपये दिलाये जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादग्रस्त भूमि ग्राम करणीनगर के खसरा संख्या 39/1 रकबा 5.3823 हैक्टयर तहसील झंवर जो कि प्रार्थीगण के नाम दर्ज है। तथा राजस्व रेकर्ड में उक्त भूमि के पास से सरकारी रास्ता इन्द्राज होने के कारण प्रार्थीगण को कोई वाद करने का अधिकार नहीं है क्योंकि उनके किसी भी दीवानी एवं राजस्व अधिकारों का कोई हनन नहीं हो रहा है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत ऐसे रास्तों को चौड़ा करने के अधिकार हैं। मात्र राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं होने से प्रार्थीगण को अधिकार उपलब्ध नहीं होता है। र्यूई रूप से चल रहे रास्ते में गांव वालों का सार्वजनिक सुखाधिकार प्राप्त हो चुका है। इन परिस्थितियों उपरोक्त रास्ते को न्यायालय द्वारा बंद नहीं किया जा सकता है। पूर्व से जो रास्ता चलयामान है। उसी पर सरकारी आदेश अनुसार मेन्टीनस कार्य किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में र्यूई निषेधाज्ञा जारी किया जाना कानूनी रूप से उचित प्रतीत नहीं होता है। तथा प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूर्ण्य क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होना पाया जाता है इस कारण से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज योग्य प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन अपूर्ण्य क्षति का विन्दु साबित करने में असफल रहे, इस कारण से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 14/11/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



सहायक कलक्टर एवं उपाधीक्षक अधिकारी,  
जिला जयपुर ग्रामीण